

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र., भोपाल

290

पंजः क्रमांक. 97/29/2016

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क्र. 294/16 (एस) आशीष कुमार पटेल  
पिता स्व. श्री राजवारे प्रसाद पटेल सहायक प्राध्यापक वाणीय  
श्री. महावि. कोलकाता विरुद्ध मा. उ. शासन एवं अन्य।  
क्रमांक 15005/2016

-00-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक/प्राचार्य संदर्भानुसार  
से प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी. 294/2016 (एस) की याचिका  
प्राप्त हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध अनुकम्पा नियुक्ति

के निर्देशानुसार प्रतिवादी क्रमांक 04 को नियुक्त करने हेतु निर्देशार्थ  
2. प्रतिवादी क्रमांक 04 प्रा. शासकीय महाराष्ट्र मातंग महाविद्यालय कोलकाता

प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना है। कृपया अनुमोदन करना चाहे साथ ही यदि  
मान्य हो तो प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की स्वच्छ प्रतियां पर हस्ताक्षर करना

चाहे।

उपरोक्त,  
प्रभारी अधिकारी नियुक्ति

हेतु स्वच्छ प्रति  
हस्ताक्षर प्रस्तुत

आयुक्त/सचिव महोदय

विक.अ. (न्या.प्रकोष)

CH
CLNO
253/290
29/3/16
9/3/16

05/03/16

जाफ 490-91  
9/3/16

जाफ  
9/3/16



कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक १९०/शा. १६५५/२०१६

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क्र. २९५/१६-१५ (एस) अशोक कुमार पटेल  
विरुद्ध अ. प्र. शासन एवं अन्य।

— ०० —

सचिव मध्यप्रदेश शासन उ.शि. विभाग के आदेश क्रमांक ५९०-५९१  
दिनांक ९/३/१६ में अतिरिक्त संचालक/प्रचार्य श्री. मा. नं. ५-४६१-  
विधालय, छोनमा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त  
किया जा चुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग की ओर  
अंकित करना ताहें।

S.O.  
६६५

रक्षा, प्रतिरक्षण हेतु नस्ती

विधि - विभाग की अंकित  
१६१-५४६१/

बी.के. घोरसिया  
वि.क.अ.  
Sule  
10/3  
10/3/16

आयुक्त/सचिव महोदय

विधि विभाग

उमाकान्त उमराव  
सचिव/आयुक्त

अ.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग



प्रतिरक्षण आदेश जारी कर प्रति नस्ती  
पर रखी है।

7688  
CR

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग

(अमिताभ मिश्र)  
अति-सचिव  
विधि विभाग



5  
25/2/16

1809  
पंजीकृत आवक  
दिनांक 24/2/16

①

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR**

Process Id: 15005/2016

WP/294/2016

From

Kishore Pithawe  
Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Jabalpur

FOR - ADMISSION  
Fixed for 08-03-2016  
WP-DA-19  
Respondent No. 3

To,

Special Duty Officer Higher Education  
Department,  
Satpuda Bhawan 5 Rd Manzil Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 28-01-2016

ज्या० ५६  
24-2-16  
Sub: Notice to Respondent No. 3 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/ 294/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Ashish Kumar Patel** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/294/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)  
Encl: Copy of Petition



मार्गदर्शक  
24/2/16

Your faithfully

2-2-16

DEPUTY REGISTRAR



मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक ५१०/२१० मंत्रालय  
सिविल प्रक्रिया संशेता १९९० (१९०८ का अधिकतम संख्या-५) के आदेश सत्ताईस नियम-१ तथा  
-१ अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राचार्य, राजस्थान के राजस्थान विश्वविद्यालय,  
जोधपुर को या चेका क्रमांक WP. ११५/२०१६

(पक्षकारों के नाम) आशीष पुष्पाट पटेल, पितृ स्व. श्री वृद्ध नरसी प्रसाद पटेल, सहा. प्र.  
बामदेव शास्त्री

वांछित शासकीय अविद्यालय ओलागा तिला अमृतापुर (म-५) विच्छेद म. प्र. शासन एवं तत्

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके ओर तं प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौर नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी कार्य करेगा:-

- 1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- 2/ समस्त सूर गत फाइलें, दस्तावेज, निम्न अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिकारता से सम्पर्क करेगा।
- 4/ शासकीय अधिकारता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा।
- 5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-
  - 1/ वाद/पत्रों की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका।
  - 2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप।
  - 3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
- 4/ मामले विशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- 6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिकारता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा।
- 7/ जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा।
- 8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिकारता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा।



9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हो।

10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिकार की हर संभव मदद / सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि बाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जाये।

12/ महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पदकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रतः रिपोर्ट आवेदन दायर कर विलोपित करवाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम पर तथा  
आदेशानुसार

  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग


मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक

9/3/16

पृष्ठ 491/290/उशिदि/मंत्रालय/स्वाप्र/116  
प्रतिनिधि:-

- 1/ महाप्रबन्धक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जयपुर/इन्दौर/गवालियर जमान म.प्र. की ओर।
- 2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विद्याधर भवन भोपाल
- 3/ संबंधित जिलाध्यक्ष झिनुपुर मध्यप्रदेश।
- 4/ प्रभारी शासकीय महाराज गौड महाराज कोणा, जिला झिनुपुर (म.प्र.)  
प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिकार से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अती प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिकार से आगे का कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलों में अपनी प्रगत रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव भेजना चाहिये बाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये, मामले की सुनवाई की तारीख 08.03.2016 की सुनवाई हेतु नियत की गई थी/है।
- 5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा झिनुपुर संभाग, झिनुपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल